कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर।

दिनांक 28.04.2012 को श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

आज दिनांक 28.04.2012 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक आहूत हुई, जिसकी कार्यवाही निम्नप्रकार है :–

उपस्थिति – यथापंजी

कार्यक्रम पदाधिकारी, खड़गपुर सह टेटियाबम्बर अवकाश में रहने के कारण अनुपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम पदाधिकारी, संग्रामपुर बैठक में विलंब से उपस्थित हुये। विलंब से उपस्थिति के कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया।

इसी प्रकार कई पंचायत तकनीकी सहयक, एवं कनीय अभियंता भी बैठक मे अनुपस्थित पाये गये। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अनुपस्थित पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसे संचिका में उपस्थापित करने हेतु आदेश दिया गया।

2. सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा आज की आहूत विशेष बैठक के प्रयोजन पर प्रकाश पर प्रकाश डालते हुये बताया गया कि दिनांक 01.05.2012 से 04.05.2012 तक सभी महादलित टोला में जॉबकार्ड के निर्माण एवं रोजगार की मांग हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु शिविर का आयोजन करने संबंधी विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं उपस्थित अन्य मनरेगा कर्मी को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश का अनुपालन कराना सभी कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आज की शिविर के आयोजन संबंधी जिला स्तर से आदेश निर्गत किया जा रहा है जिसे सभी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य मनरेगा कर्मी प्राप्त करेंगे एवं तद्नुसार निहित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

3. जिला पदाधिकारी द्वारा इस माह के 09.04.2012 से 14.04.2012 तक महादलित टोला में रोजगार की मांग हेतु प्राप्त आवेदन एवं मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु की गई कि कार्रवाई की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में काम मुहैया कराने संबंधी स्पष्ट सूचना नही दिये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रावधान के अनुसार प्राप्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में उन्हें मनरेगा में काम उपलब्ध कराना सुनिश्चि करें एवं पंचायतवार दिनांक 29.04.2012 संध्या तक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि ऐसे योजना जो विगत वर्ष से carry over होकर इस वर्ष आया है, सर्वप्रथम उस योजना में संबंधित आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात् वार्षिक कार्य योजना के आधार पर बनाये गये Shelf of Project में अंकित प्राथमिकता के क्रम में ही योजना का कार्यान्वयन कराना सभी कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित करेगें। प्राथमिकता भंग होने पर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा।

4. समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि कौन से योजना किस महीने से सुचारू रूप से चलेगी इसका आकलन करना सभी कार्यक्रम पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। योजना का चयन Shelf of Project के अनुसार ही करें और वैसे योजनाओं का चयन करें जिसमें मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 85 एवं 15 हो। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी इसका शत–प्रतिशत

अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ज्ञातव्य हो कि पिछले वर्ष भी सभी कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा योजना के चयन को 60 एवं 40 का अनुपात बताया गया था जो वित्तीय वर्ष के अंत तक 50:50 का हो गया, इस प्रकार की गलती दुबारा नही होनी चाहिए अन्यथा कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत तकनीकी सहायक दोनों दोषी माने जायेंगें। खासतौर पर जमालपुर, खड़गपुर, धरहरा एवं संग्रामपुर में पिछले वर्ष इस प्रकार की ज्यादा योजना में यह परिलक्षित हुई हैं।

5. समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया कि हर हाल में योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत द्वारा ही किया जाएगा। यदि किसी कारणवश किसी योजना का क्रियान्वयन पंचायत द्वारा संभव नही होने पर संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिवेदन एवं सूचना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को देंगे तथा जिला स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में ही वैसी योजना का क्रियान्वयन करेंगे।

6. समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निदेश दिया गया कि रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक महादलित परिवार को 100 दिनों का रोजगार निश्चित रूप से सभी कार्यक्रम पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पुरानी योजना को पहले पूर्ण करेंगे तथा पुरानी योजना नही रहने पर ही Shelf of Project में प्राथमिकता के आधार पर नयी योजना में पर्याप्त संख्या में मजदूरों को कार्य पर लगाकर 15 जून तक उक्त योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि सभी कार्यक्रम पदाधिकरी अपने–अपने प्रखंडों के कुल महादलित परिवार की संख्या तथा कितने लोगों द्वारा रोजगार आवेदन की मांग की गयी है एवं उसका अनुपात क्या है उसकी विस्तृत विवरणी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश के अनुपालन की जिला पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की गई एवं इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी से प्रखंडवार कर्मियों के योगदान करने एवं प्रभार के आदान–प्रदान की सूचना प्राप्त की गई।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सभी कार्यक्रम पदाधिकारी से प्रखंडवार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहनेवाले मनरेगा कर्मी एवं प्रभार नही लेने वाले पंचायत रोजगार सेवक के संबंध में आज ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रतिवेदन सौंपते हुये निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि त्यागपत्र देनेवाले/सरकारी अभिलेख के साथ फरार होनेवाले पंचायत रोजगार सेवक एवं आदेश का अनुपालन नही करने वाले पंचायत रोजगार सेवक के विरूद्ध समीक्षोपरांत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को प्रतिवेदन तुरंत उपलब्ध करायेंगे ताकि उसके आधार पर संबंधित कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित हो सकें।

9. आज की बैठक में भवेश कुमार–संग्रामपुर, आदित्य कुमार–खड़गपुर, अशोक कुमार चौहान–तारापुर एवं विलास दास–तारापुर पंचायत तकनीकी सहायक को छोड़कर सभी पंचायत तकनीकी सहायक अनुपस्थित पाये गये। जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि उक्त अनुपस्थित पंचायत तकनीकी सहायक से अविलंब स्पष्टीकरण की मांग करें कि क्यों नही वरीय पदाधिकारी के आदेश के अवहेलना के आरोप में उनका अनुबंध रद्द कर दिया जाय।

इसी प्रकार बैठक में कनीय अभियंता साकेत रंजन– खड़गपुर, मनोज कुमार–बरियारपुर, अनिल कुमार–तारापुर, संजय किरण–जमालपुर एवं अरूण कुमार–धरहरा का छोड़कर सभी कनीय अभियंता अनुपस्थित पाये गये। जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि शेष कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग करें कि क्यों नही उन्हें चयन मुक्त किया जाय।

10. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 16.04.2012 को पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता का स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के बावजूद भी आज दिनांक 28.04.2012 तक जिन कर्मियों द्वारा आदेश का अनुपालन नही किया गया है। उन कर्मियों का माह अप्रैल का 12 दिनों का मानदेय/वेतन काटकर सभी कार्यक्रम पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

11. जिला पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि पंचायत रोजगार सेवक की बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित हो लें कि सभी पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रभार का आदान–प्रदान कर दिया गया है। जिन पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा निदेश का अनुपालन अभी तक नही किया गया है वैसे पंचायत रोजगार सेवक पर प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. जिला पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि काम की मांग सहित अन्य प्रपत्र जो जिला स्तर से प्रिंट कराया गया है उसे सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को आज उपलब्ध करा देंगे।

13. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी प्रखंडों में बार–बार निदेश के बावजूद भी योजनाओं का चयन **Shelf of Project** के अनुसार नही किये जाने के फलस्वरूप रोजगार की मांग के बावजूद ससमय मजदूरों को कार्य नही मिल पा रहा है जो मनरेगा के नियमों का सरासर उल्लंघन है। इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी तथा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को योजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार कर मजदूरों को 15 दिनों के अंदर कार्य उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

28/4 — 28/04/12

उप विकास आयुक्त, मुंगेर। — जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया को आदेश की प्रति उपलब्ध कराने एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

28/4 — 28/04/12

उप विकास आयुक्त, मुंगेर। — जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक :– 169 ग्रा० दिनांक :– 28·04·12

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/4 — 28/04/12

उप विकास आयुक्त, मुंगेर। — जिला पदाधिकारी, मुंगेर।